केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 28)

[1 जून, 2007]

केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सड़क निधि (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2000 का 54 2. केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 9 का संशोधन।

"(ख) ऐसे उपाय करेगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए निधियां जुटाने के लिए आवश्यक हों;"।

धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु केंद्रीय सरकार धारा 10 के खंड (viii) के उपखंड (क) के अधीन निधि के अंश का उपयोग, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में ग्रामीण सड़कों के विकास के प्रयोजनार्थ लिए गए किसी ऋण के प्रतिसंदाय के लिए, कर सकेगी।"।

राष्ट्रपति ने दि सेन्ट्रल रोड फंड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Central Road Fund (Amendment) Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.

MGIPMRND—2612LS(S5)—26-07-2007.